ही प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के समस्त कार्यभार को ध्यान में रखते हुए, बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय टंककों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा था ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली ने जनवरी, 1991 में तथा फिर दिसम्बर, 1992 में टंककों के कुछेक पद भरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय का अनुमोदन मांगा था ।

(ङ) प्रतीक्षा सूची को शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली वर्तमान टंककों से कार्य पूरा करने की स्थिति में है ।

आय-कर से छूट

2612. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण समितियों/संगठनों को लाटरियों के मामले में कर के भुगतान से विमुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कल्याण समितियों/संगठनों ने इस संबंध में आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है ; और

(घ) क्या कर से छूट प्राप्त इन संगठनों/कल्याण समितियों के कार्यकरण के संबंध में कोई जांच की गई है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति) : (क) से (घ) चूंकि वेलफेयर सोसाइटियों/संगठनों जिनके बारे में सूचना मांगी गई है, के नाम नहीं दिए जाते हैं इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

लाटरी विजेताओं से आयकर लिया जाना

2613. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी विजेताओं की सम्पत्ति सैन्ट्रल रजिस्टर में सूचीबद्ध न किए जाने और विवरणी दायर न किए जाने के कारण आयकर के अपवंचन के मामले में अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन चूकों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) यह कहना सही नहीं है कि लाटरी विजेताओं द्वारा आयकर अपवंचन किया जाता है क्योंकि उनकी सम्पत्तियों की केन्द्रीय रजिस्टर" में प्रविष्टि नहीं की जाती है ; वस्तुत इस प्रयोजन के लिए किसी "केन्द्रीय रजिस्टर" को रखने की पद्धति नहीं है। यह भी सही नहीं है कि ऐसे लाटरी विजेताओं की विवरणियां दायर न करने के कारण अपवंचन होता है, क्योंकि लाटरी के जीतने पर कर 40% की दर पर स्रोत पर काटा जाता है, जोकि वह दर है जो इस प्रकार के स्रोत की आय पर लागू होती है । इसलिए ऐसे लाटरी विजेता अपनी आय विवरणियां चाहे दायर करते हैं अथवा नहीं करते हैं, लेकिन इस कारण से कर अपवंचन नहीं हो सकता है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) लाटरी पुरस्कार विजेताओं से आयकर की वसूली में सुधार लाने की दृष्टि से आयकर अधिनियम, 1961 में एक उपबंध अधिनियमित किया गया है, जिसके अन्तर्गत लाटरी के जीतने से प्राप्त की गई रकम से स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है । इसके अलावा, लाटरी की जीतने की रकम से किसी व्यय के प्रति कोई कटौती करना अनुमत्य नहीं है तथा ऐसी जीती गई रकम 40% की